

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
Himachal Pradesh, Shimla-171001

PRESS RELEASE

The Ministry of Minority Affairs (MoMA) has given the direction to implement a few preventive measures for securing the verification process of applications during the current year i.e. 2020-21. The re-verification of the credentials of District Nodal Officers (DNOs) by the respective State Nodal Officer (SNO) and similarly, re-verification of the credentials of Institute Nodal Officer (INO) by the DNO/SNO. *(vi) The States Nodal Offices will re-verify the credentials of the DNOs and certify that they are regular employees of the State Government. Similarly, the DNOs/SNOs will verify the credentials of all the INOs under them and ensure through the Head of the School that the INOs are permanent/regular employees of the school concerned and that they have not shared their user ID and password with any other person inside or outside the school.*

All applications verified till 31.12.2020 will be sent back to the respective INOs for re-verification and the INOs will re-verify these applications on the basis of the documents submitted by the applicant and cross checked with the school record. *(iii & iv) All the applications already verified as on date this year will be sent back to the respective INOs with the direction that they should be re-verified and upload on the basis of the documents submitted by the applicant and cross checked with the school record. In case a student has not submitted any document or has not submitted the required number of documents the INO may "mark" the application as "defective" so as to provide another opportunity to the genuine applicant to rectify the mistake. Further, NSP will also provide the following data in schools login:- (i) the number of scholarship application verified by the school in the previous year (ii) the number of scholarship applications verified by the school in the current year. The figures under (ii) will be updated by the Portal till the last day of verification. The said information on the schools login will alert the INOs in case there is an unusual spike in the number of applications & The Head of the School will certify the list of applications verified by the INO and send it to the DNO/SNO for L-2 verification. A copy of the certified list and the documents submitted by the applicants will be maintained year-wise by the School and DNOs/SNOs will check these documents physically on random basis. The INO will maintain the records separately for applicants under fresh and renewal categories respectively. The school will maintain the documents in hard copy in Scholarship File financial year wise and the records will be retained by the school for at least 5 years. Principal/Head of School/Institute is made responsible for the effective supervision of INO activities.*

The following are also the preventive measures to be taken by DNOs SNOs while complete the verification:-

- a. The INO should re-verify on the basis of the documents submitted by the applicant and cross checked with the school record. The INO is required to maintain copies of supporting documents (such as income certificate, community certificate, mark sheet, birth certificate, copy of Aadhaar card, domicile proof etc.) submitted by the applicant in the file and show the physical record to the DNO/SNO as and when required.
- b. In case a student has not submitted any documents or has not submitted any documents or has not submitted the required number of documents – the INO may mark the application as "defective" so as to provide another opportunity to the genuine applicant to rectify the mistake till before the last date for L-1 verification. Further, NSP will also provide the following data in schools login:- (i) the number of scholarship application verified by the school in the previous year (ii) the cumulative number of scholarship applications verified by the school in the current year. The figures under (iii) will be updated by the Portal till the last day of verification. The said information on the schools login will alert the INO in case there is an unusual spike in the number of applications.
- c. The complete applicants list re-verified by INOs should be certified by the Head of the School/Institute and then only be forwarded to DNO/SNO by the last date for L-1 verification.

For any queries/problems contact during office time from 10:00 am to 5:00 pm on 0177-2656622 & 0120 6619540

(Dr. Amarjeet K. Sharma)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla -1

Copy forwarded to:

1. The Secretary (Edu.),to the Govt. HP Shimla-2 for information please.
2. The Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Minority Affairs, 11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003.
3. The Director, All India Radio Centre and Doordarshan Centre, Shimla171004.
4. The Editor, The Tribune Newspaper, The Indian Express Newspaper,The Times of India Newspaper , Hindustan Times Newspaper, Shimla.
5. The Director, Public Information and Public Relation Department, Himachal Pradesh, Shimla – 171002, for publication please.
6. The TO, IT Cell, DHE HP, with direction to upload the above Press Release on the Departmental website.

शिक्षा निदेशालय उच्चसर इमेल

27 JAN 2021



(Dr. Amarjeet K. Sharma)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1

प्रैस विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय (MoMA), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए, आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, निवारक उपाय को कियान्वित करने के आदेश दिये गये हैं। सम्बन्धित राज्य नोडल अधिकारी द्वारा जिला नोडल अधिकारीयों की साथ/प्रत्यय-पत्र के पुनःसत्यापन और इसी तरह, जिला नोडल अधिकारी /राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संरथान नोडल अधिकारी की साथ का पुनःसत्यापन किया जाता है (vi) राज्य नोडल कार्यालय डनएनओ की साथ को फिर से सत्यापित करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि ये राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, डीएनओ/एसएनओ इसके तहत सभी आईएनओ की साथ का सत्यापन करेंगे और रकूल के प्रमुख के माध्यम से वह सुनिश्चित करेंगे कि आईएनओ ने संबंधित स्कूल के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं और उन्होंने रकूल के अंदर या बाहर अन्य किसी व्यक्ति के साथ अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा नहीं किया है।

31.12.2020 तक सत्यापित सभी आवेदन फिर से सत्यापन के लिए संबंधित आईएनओ को भेजे जाएंगे और आईएनओ, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सरतावेजों के आधार पर इन आवेदनों को फिर से सत्यापित करेंगे और रकूल रिकॉर्ड के साथ प्रति परीक्षण/जांच की जाएगी। (iii) और (iv) इस वर्ष तिथि के अनुसार पहले से सत्यापित सभी आवेदनों को संबंधित आईएनओ को इस दिशा में वापस भेज दिया जाएगा कि वे पुनःसत्यापित हों और आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपलोड किए जाएंगे और रकूल रिकॉर्ड के साथ प्रति परीक्षण/जांच की जाएगी। यदि किसी छात्र ने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है या दस्तावेज की आवश्यक संख्या जमा नहीं की है, तो आईएनओ “दोषपूर्ण” के रूप में आवेदन को चिह्नित कर सकता है, ताकि गलती को सुधारने के लिए वार्तातिक आवेदक को एक और अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, NSP रकूलों में लॉगइन करने के लिए निम्नलिखित डेटा भी प्रदान करेंगा:- (i) पिछले वर्ष में रकूल द्वारा सत्यापित छात्रवृत्ति आवेदन की संख्या (ii) वर्तमान वर्ष में रकूल द्वारा सत्यापित आवेदनों की संख्या (ii) के तहत आंकड़े सत्यापन के अंतिम दिन तक पोर्टल द्वारा आडेट किए जाएंगे। रकूलों के लॉगिन पर उक्त जानकारी आईएनओ को सतार्क कर देगी यदि आवेदन की संख्या में कोई असामान्य वृद्धि हुई और रकूल का प्रमुख आईएनओ द्वारा सत्यापित आवेदनों की सूची को प्रमाणित करेगा और एल-2 सत्यापन के लिए डीएनओ/एसएनओ को भेजेगा। प्रमाणित सूची की एक प्रति और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को रकूल द्वारा वर्ष-वार रखा जाएगा और डीएनओ/एसएनओ घाटचिक आधार पर इन दस्तावेजों की भौतिक रूप से जांच करेंगे। आईएनओ नवीन और नवीकरण श्रेणियों के तहत आवेदकों के लिए अलग से रिकॉर्ड क्रमशः बनाए रखेगा। रकूल छात्रवृत्ति फाइल वित्तीय वर्ष में हार्ड कॉपी में दस्तावेजों को बनाए रखेगा और रिकॉर्ड को रकूल द्वारा कम से कम 5 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा। रकूल/संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रमुख का आईएनओ निम्नविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है।

सत्यापन पूरा करते समय डीएनओ/एसएनओ द्वारा उठाए जाने वाले निवारक उपाय भी निम्नलिखित हैं:-

अ) आईएनओ को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फिर से सत्यापन करना चाहिए और रकूल रिकॉर्ड के साथ प्रति परीक्षण/जांच करना चाहिए। आईएनओ को फाइल में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों (जैसे आय प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाणपत्र, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, अधिवास प्रमाण आदि) की प्रतियां बनाए रखने की आवश्यकता होती है और जब आवश्यक हो तक डीएनओ/एसएनओ को भौतिक रिकॉर्ड दिखाते हैं।

ब) यदि विश्वी छात्र ने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है या कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है या उसने आवश्यक दस्तावेजों को जमा नहीं किया है तो आईएनओ आवेदन को “दोषपूर्ण” के रूप में चिह्नित कर सकता है ताकि वार्तातिक आवेदक को गलती को सुधारने के लिए एल-1 सत्यापन के लिए अंतिम तिथि से पहले एक और अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, एलएसपी रकूलों के

लॉगिन में गिम्लिखित डेटा भी प्रदान करेगा:- (i) पिछले वर्ष में स्कूल द्वारा सत्यापित छात्रवृत्ति आवेदन की संख्या (ii) चालू वर्ष में विद्यालय द्वारा सत्यापित छात्रवृत्ति आवेदनों की संख्यी संख्या (iii) के तहत अंकड़े सत्यापन के अंतिम दिन तक फॉर्म द्वारा उपलेट किए जाएंगे। रकूलों के लॉगिन पर उक्त जानकारी आईएनओ को सतर्क कर देंगे, जब आईटीनों की संख्या में असामान्य बद्धि होगी।

स) आईएनओ द्वारा पुणः सत्यापित पूर्ण आवेदकों की रूपी को रकूल/संरथान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही एल-1 सत्यापन के लिए अंतिम तिथि तक भीएनओ/एसएनओ को भेजा जाना चाहिए।

किसी भी प्रकार के प्रश्न/समस्याओं के लिए कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क सुबह 10.00 से शाम 5.00 बजे तक दूरभाष 0177-2656622 एवं 0120-6619540 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा),
उच्चतर शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन सं० ई०डी०एन०-एच (10)ए(7)२/२००९-प्रैस विज्ञप्ति दिनांक: जनवरी, 2021
प्रतिलिपिः

- 1- राज्य (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
- 2- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय, 11 फ्लॉर, पंडित दीनदयाल अन्नोदय भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोदी रोड, न्यू दिल्ली-110003
- 3- निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला एवं दूरदर्शन केन्द्र, शिमला हिमाचल प्रदेश को प्रेषित है।
- 4- राजपादक, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, आपका फैसला, पंजाब कैसरी, दैनिक जागरण, दिल्ली हिमाचल, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला को प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

- ✓ 6- वाकीवी अधिकारी, आई०डी० रैल, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश को आदेश दे कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाइट पर अकिंत करें।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

27 JAN 2021

(डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा),
उच्चतर शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।